International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com
Impact Factor: 9.2

# 21वीं सदी में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ

## डॉ. जगमोहन सिंह नेगी

असि.प्रो. राजनीति विज्ञान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपे वर (चमोली)

**Paper Acceptance Date: 22nd July 2026**
**Paper Publication Date: 24th July 2026**

## सारांश

मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविच्छिन्न और प्राकृतिक अधिकार हैंए जो मानव को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। 21 वीं सदी में जहाँ तकनीकी उन्नति, लोकतंत्र का विस्तार, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्वीकरण ने मानवाधिकारों को नई मजबूती प्रदान की है, वहीं राजनीतिक दमन, युद्ध, आर्थिक असमानता, तकनीकी दुरुपयोग, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक भेदभाव, व्यवहारिक भष्ट्राचार जैसी कई नई चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आ रही हैं। यह शोध.पत्र 21 वीं सदी में मानवाधिकारों के सम्मुख उत्पन्न इन चुनौतियों का विश्लेषण करता है तथा मानवाधिकारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करने में मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है।

### प्रस्तावना

मानवाधिकार आधुनिक सभ्यता की नैतिक और कानूनी नींव हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में पारित "वि व मानवाधिकार घोषणा" ने मानवाधिकारों को वि व स्तर पर स्वीकृत किया। अनेक देशों के संविधान इन अधिकारों को मूल संरक्षण देते हैं, परंतु बदलते वै ि वक परिवेश में मानवाधिकारों के सामने अभूतपूर्व चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं, जिनके निराकरण हेतु नए दृष्टिकोण और वै ि वक सहयोग की आवश्यकता है।

मानवाधिकार, सार्वभौमिक, अविच्छिन्न, अविभाज्य, प्राकृतिक, गैर–भेदभावपूर्ण, तथा मानवीय गरिमा पर आधारित अधिकार हैं। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सम्मान और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करते हैं। मानवाधिकार मनुष्य को केवल "मनुष्य" होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों के सम्बन्ध में अनेक विद्धानों ने अपने मत प्रकट किये हैं। जॉन लॉक कहते है कि ''मानवाधिकार वे प्राकृतिक अधिकार हैं जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से जुड़े हैं।'' जैक डोनली इस सम्बन्ध में स्पश्ट करते हैं कि ''मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं।'' संयुक्त राष्ट्र (1948) ने कहा है कि ''मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो।'' वस्तुतः सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, अपरिहार्यता, समानता, गरिमा पर आधारित जो अधिकार है, वह मानवाधिकार हैं। यही नहीं मानव गरिमा की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक न्याय की स्थापना, कमजोर वर्गों का संरक्षण, राज्य की शक्ति पर नियंत्रण करने से सम्बन्धित अधिकार को ही मानवाधिकार कहा जा सकता है और इसी कारणों से मानवाधिकारों का महत्व स्पश्ट होता है।

मानवाधिकारों का ऐतिहासिक विकास के सन्दर्भ में स्पश्ट है कि प्राचीन काल में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा प्रचलित रही है। 17 वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा प्राकृतिक अधिकार का प्रतिपादन किया गया और 18वीं शताब्दी में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा (1776), फ्रांसीसी मानव और नागरिक अधिकार घोषणा (1789) तथा 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) ने मानवाधिकारों को साकर रूप दिया। मानव अधिकारों की कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। विविध प्रकार के समाजों में जैसे–जैसे नए खतरे और नई चुनौतियाँ सामने आ रहीं हैं, वैसे–वैसे मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लिखित मानवाधिकारों के कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिनमें उल्लिखित मानवाधिकारों को सामान्य तौर पर नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रेणियों में बाँटा गया है। इसके अनुच्छेद एक से तीन तक में स्वतंत्रता, समानता भेदभाव से मुक्ति, जीवन सुरक्षा के अधिकारों का उल्लेख किया गया गया है। सार्वभौमिक घोषणापत्र में अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 21 तक नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे दासता से मुक्ति का अधिकार, निर्दयी, अमानवीय व्यवहार अथवा सजा से मुक्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, प्रभावशाली न्यायिक उपचार का अधिकार, आवागमन तथा निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता, शादी करके घर बसाने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उचित निष्पक्ष मुकदमें का अधिकार, मनमर्जी की गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण से मुक्ति का अधिकार, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, अपराधी साबित होने से पहले बेगुनाह माने जाने का अधिकार, व्यक्ति की गोपनीयता, घर, परिवार तथा पत्र व्यवहार में अवांछनीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, शांतिपूर्ण ढंग से किसी स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार, शरणागति प्राप्त करने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तक सामान पहुँच का अधिकार हैं।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अतिरिक्त, घोषणापत्र के अगले 22 से 30 तक अनुच्छेदों में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। 22 ये 27 तक में आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के तहत सामाजिक सुरक्षा, काम, समान वेतन व ट्रेड यूनियन के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 28 से 30 तक में सामान्य प्रावधान व कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। सामाजिक व अन्तर्राश्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार, समाज के प्रति कर्तव्य, अधिकारों को नश्ट करने के लिए कार्यों पर प्रतिबन्ध का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः अधिकार कितने भी हो और उनका स्वरूप कैसा भी हो, किन्तु यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य हैं। किन्तु वर्तमान 21 वीं सदी में वि व का पर्यावरण इस प्रकार से विकसित हो रहा है कि इन अधिकारों के सम्मुख अधिकां ातया नयी–नयी चुनौतियाँ आ रही हैं, जो हर एक अधिकार को खतरा पैदा कर रही हैं और मानव इन अधिकारों का उपभोग सही से नहीं कर पा रहा है। ऐसे में 21 वीं सदी में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता एवं चुनौतियों विशय पर भाोध कार्य करना आपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी भावना एवं उद्दे य से भाोधार्थी ने उक्त विशय पर भाोध पत्र तैयार करने का विचार किया है।

## साहित्यिक अवलोकन

मानवाधिकरों के सम्मुख 21 वीं सदी में प्रासंगिकता एवं चुनौतियों के सन्दर्भ में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि विभिन्न विद्धानों ने इसके विभिन्न पक्षों के सन्दर्भ में अध्ययन किया है, किन्तु उक्त दोनों पक्षों जिसमें एक और मानवाधिकारों की प्रासंगिकता का उल्लेख किया, वहीं दूसरी और उसके सम्मुख वह भी 21 वीं सदी में चुनौतियों का अध्ययन एक साथ किसी भी अध्ययेताओं द्वारा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ विद्धानों ने मानवाधिकारों के पृथक्–पृथक् पक्षों का अध्ययन किया है जिसका संक्षिप्त अवलोकनात्मक वर्णन अद्योलिखित किया गया है।

1. **जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक Two Treatises of Government (1689)** में लिख है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य का अस्तित्व ही मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है। यदि राज्य अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जनता को विरोध करने का अधिकार है।

2. **जैक डोनली द्वारा 2013 में लिखित पुस्तक Universal Human Rights in Theory and Practice** में मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि वै वीकरण, सांस्कृतिक विविधता और राज्य की संप्रभुता मानवाधिकारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
3. **हेनरी शू ने वर्श 1996 में प्रकाि ात पुस्तक में Basic Rights: Subsistence] Affluence and U-S-Foreign Policy** में लिखा है कि जब तक बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होंगी, तब तक अन्य अधिकार अर्थहीन रहेंगे। उन्होंने गरीबी और आर्थिक असमानता को मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती बताया गया है।
4. **अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक Development as Freedom** का प्रकाशन वर्ष 1999 किया और इस पुस्तक **में उन्होंने कहा कि भूख, अशिक्षा, बेरोज़गारी और असमानता मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रमुख रूप हैं।**
5. **शोशाना जुबॉफ की The Age of Surveillance Capitalism (2019)** नामक पुस्तक डिजिटल युग में निजता के अधिकार पर केंद्रित है। जुबॉफ ने बताया कि तकनीकी कंपनियाँ व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर मानव स्वतंत्रता और गोपनीयता का उल्लंघन कर रही हैं, जो आधुनिक मानवाधिकारों के लिए एक नई चुनौती है।
6. **डेविड कोल ने 2003 में रचित पुस्तक Enemy Aliens** में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के नाम पर किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना की है। पुस्तक में बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर देते हैं।
7. **ग्रैनविल ऑस्टिन ने वर्श 1966 में प्रकाि ात पुस्तक The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation** में भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को सामाजिक क्रांति का साधन बताते हुए मानवाधिकारों को सामाजिक समानता, न्याय और लोकतंत्र का आधार माना है।
8. **मानवाधिकार : सिद्धांत और व्यवहार नाम पुस्तक एल.एल.वर्मा द्वारा वर्श 2004** में रचित की गई है। इस पुस्तक में भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की अवधारणा, चुनौतियों और क्रियान्वयन की समस्याओं का विश्लेषण किया है।
9. **बी. एन. मिश्रा द्वारा वर्श 2010 में मानवाधिकारः अवधारणा और समकालीन विमर्श** प्रकाि ात पुस्तक में वै वीकरण, आतंकवाद, महिला एवं बाल अधिकार तथा पर्यावरणीय संकट को समकालीन मानवाधिकार चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अतः सम्बन्धित साहित्यिक का अवलोकन करने से स्पश्ट है कि उक्त विशय पर अभी तक संज्ञानुसार भोध कार्य नहीं हुआ है। अध्ययन की इसी महत्व को देखते हुए भोधार्थी ने उक्त विशय का चयन किया तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी भोधार्थी इस अध्ययन की ओर आकर्शित हुआ है।

## अनुसंधान उद्देश्य

1ण मानवाधिकारों का संज्ञान प्राप्त करना।
2ण 21वीं सदी में मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण करना।
3ण वै ि वक एवं राष्ट्रीय संदर्भ में मानवाधिकारों के सामने उभरती चुनौतियों का अध्ययन करना।
4ण मानवाधिकारों के सन्दर्भ में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को समझना।
5ण मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करना।
6ण मानवाधिकारों के बढ़ते महत्व को तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करना।

## परिकल्पना

21 वीं सदी में वि व में हो रही तकनीकी प्रगति, वै वीकरण और लोकतंत्रीकरण ने जहाँ मानवाधिकार संरक्षण के अवसर बढ़ाए हैं, वहीं युद्ध, राजनीतिक दमन, असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और डिजिटल दुरुपयोग ने मानवाधिकारों के लिए अभूतपूर्व चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। इसलिए मानवाधिकारों की प्रासंगिकता आधुनिक समय में और अधिक बढ़ दिया है। ऐसे में वर्तमान में मानवाधिकरों के सम्मुख संभवत् अनेक चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियाँ के बाद भी 21 वी सदी में इनकी प्रासंगिकता भी है।

## अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसंधान पद्धति के रूप में सैद्धान्तिक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक पद्धतियों का उपयोग किया गया है। मानवाधिकार से संबंधित सिद्धांतों, अवधारणाओं और अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का सैद्धांतिक–विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया गया और यूक्रेन–रूस युद्ध जैसे अनेक युद्धों, वै वीकरण, डिजिटल दुरुपयोग आदि के व्यावहारिक उदाहरणों का वर्णन करते हुए वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। विभिन्न देशों की परस्थितियों की तुलना कर समकालीन चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, मानवाधिकार वॉच रिपोर्ट, समाचार विश्लेषण, शोधपत्र, पुस्तकों और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग द्वितीयक स्रोतों के रूप में करके अध्ययन की सार्थकता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

## 21 वीं सदी में मानवाधिकारों की प्रासांगिकता

21 वीं सदी में मानवाधिकारों का अस्तिव हैं। बिना इन अधिकारों के मानव का जीवन वैसा ही हो जायेगा जैसे पूर्व काल में रहा, जब मावाधिकारों का अस्तिव था ही नहीं। अतः 21 वीं सदी में इन अधिकारों की प्रासंगिकता के अध्ययन को निम्न बिन्दुओं के तहत स्पश्ट करने का प्रयास किया गया है।

1ण **मानव गरिमा की रक्षा** आज मानवाधिकार वि व के मानव की गरिमा, आत्मसम्मान, स्वतंत्र अस्तित्व को संरक्षित करते हैं। इसीलिए इनका महत्व बना हुआ है। 21 वीं सदी में मानव का अस्तित्व नहीं है, गरिमा तो दूर की बात है।

2ण **लोकतंत्र की मूल शक्ति** वर्तमान समय में लोकतंत्र की सफलता मानवाधिकारों पर आधारित है। स्वतंत्र चुनाव, स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक स्वतंत्रता सब मानवाधिकारों से संचालित होता है। मानवाधिकारों के अभाव में इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

3ण **समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला** जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव को रोककर ही समाज न्यायपूर्ण बनता है। ये सब मानवाधिकारों के बाद ही देखने के मिला है कि समाज भेद–भावपूर्ण राजनीति से ऊपर उठ कर सामाजिक न्यायपूर्णता व समानता की कल्पना करने लगा है।

4ण **शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक** जहाँ न्याय और अधिकार हों, वहाँ संघर्ष नहीं। संभवतः यह माना जाता कि मानवाधिकार वि व शांति के आधार हैं। इन्हीं के फलस्वरूप वि व में भाांति एवं सुरक्षा रूपी पर्यावरण का जन्म हुआ है और मानव अमन, भान्ति का जीवनयापन करने लगा।

5ण **आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण** मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अवसरों की समानता इन सबको सुनिश्चित कर आर्थिक विकास को गति देते है। अधिकार ही वह धरोहर है, जो मानव को रोजगार के क्षेत्र में सुदृढ़ता प्रादन करने में सफल हो रहे और मानव रोजगारपरकता की ओर अग्रसर हो कर अपने परिवार सहित अपनी आर्थिक स्तर को बना कर रखने में सफल हो रहा है।

**6ण नई तकनीक के नैतिक उपयोग का आधार** वर्तमान युग तकनीक का युग है। बिना इसके उपयोग किये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। डिजिटल डेटा, सोशल मीडिया इन सबके नियमन के लिए इन पर मानवाधिकार की दृष्टि अनिवार्य है। तभी संभव है कि तकनीकि का नैतिक उपयोग हो सकेंगा।

7. **पर्यावरणीय अधिकारों का संरक्षण** स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, सुरक्षित पर्यावरण ये भी मानवाधिकार हैं। यह मानव जीवन का मूलाधार है। मानव के पर्यावरणीय अधिकारों की ओर मानवाधिकार आयोग का ध्यान जाना स्वतः ही मानवाधिकारों की प्रासंगिकता स्पश्ट हो जाती है।
8. **कमजोर वर्गों की रक्षा** वि व समाज में महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, श्रमिक, वृद्ध आदि की सुरक्षा मानवाधिकारों से ही संभव है। जब से मानवाधिकार आयोग और सम्बन्धित अभिकरणों ने इस ओर ध्यान देना सुनि चत किया तब से समाज के इन वर्गों के अधिकारों का संरक्षण संभव हो पाया है और उनका आत्मिक विकास से लेकर मानसिक विकास की संभवनाएं बड़ी हैं।
9. **समावेशी विकास** मानवाधिकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में सभी व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जो एक न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रतिफल स्वरूप समाज में सामावे ाी विकास देखने को मिलता है। जिससे सम्पूर्ण समाज का संतुलित विकास संभव है।
10. **वै वक एकजुटता** वै वक चुनौतियों (जैसे महामारी, जलवायु संकट) से निपटने के लिए मानवाधिकारों को विकास, शांति स्थापना और मानवीय सहायता के साथ एकीकृत करना आवश्यक है, ताकि कोई भी देश या व्यक्ति पीछे न रह जाए और वै वक एकजुटता देखने को मिले।

## 21 वीं सदी में मानवाधिकारों के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ

21 वीं सदी में मानवाधिकारों के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ हैं, जो वै वक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गंभीर रूप से सामने हैं। ऐसी चुनौतियों का संज्ञान अध्ययन की दृश्टि से आव यक है जिससे मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके और वि व के मानव अपना जीवनयापन आसान बनाने में सफल हो सके। ऐसी चुनौतियों का अध्ययनकर्ता द्वारा चिन्हित करने का प्रयास किया है, जो निम्नवत् हैं।

1. **राजनीतिक दमन और अधिनायकवाद** दुनिया में कई देशों में, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, विपक्ष का दमन, पत्रकारों पर हमले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, विरोध को देशद्रोह बताना, जैसे रुझान बढ़े हैं। राजनीतिक दमन मानवाधिकारों का सबसे बड़ा शत्रु बन रहा है और ताना ाही का बीज पुनः पनप रहा है। हर एक भाक्ति ाली दूसरे कमजोर को कुचलने की उद्देश्य बना रहा है। ऐसे में वि व के मानवों के अधिकारों के सम्मुख राजनीतिक दमन व अधिकनायाकवाद एक नयी चुनौती के रूप में सम्मुख आ रही है।
2. **युद्ध और सशस्त्र संघर्ष** यूक्रेन–रूस युद्ध, इज़राइल–हमास संघर्ष, अफ्रीका और एशिया के अनेक गृहयुद्ध–इनसे करोड़ों लोग विस्थापित हुए। परिणाम स्वरूप नागरिकों की हत्या, शरणार्थियों का संकट, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, खाद्यान अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का पतन आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यह एक ऐसी चुनौती है, जो वर्च च की लड़ाई ने पैदा की है। ऐसे वर्च व संघर्श से वि व मानवों को संरक्षण नहीं, खतरा ही हो रहा है। ऐसे संघर्श में मानवाधिकार तो दूर, मानव का ही अस्तित्व मिटता जा रहा है।
3. **आर्थिक असमानता और गरीबी** 2025 में वि व की सबसे धनी 10 प्रति ात आबादी के पास वै वक संपत्ति का 75 प्रति ात हिस्सा है। मध्य 40 प्रति ात के पास 23 प्रति ात व निचले आधे हिस्से के पास केवल 2 प्रति ात संपत्ति है। आर्थिक असमानता एवं गरीबी मानव से शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सम्मान, जैसे मूलभूत तत्वों को छीन लेती है। इस प्रकार असमानता एवं गरीबी मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा ढांचा–स्तरीय खतरा है।
4. **तकनीकी दुरुपयोग और आजादी का संकट** 21 वीं सदी में तकनीकी का प्रभाव है। इस युग में, डेटा चोरी, निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग, सोशल मीडिया में घृणा फैलाना, डीपफेक, साइबर अपराध, अनेक नए प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन पैदा कर रहे हैं। आजादी आज सबसे अधिक खतरे में है, क्योंकि तकनीकि ने सबकी आजादी पर आज व्यक्तिगत प्र न चिन्ह लगा दिया है।
5. **पर्यावरणीय संकट** पर्यावरणीय संकट ने आज जलवायु परिवर्तन, भोजन, पानी, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन जैसे मूलभूत अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रदूषण, जंगलों की कटाई, भू–क्षरण, प्राकृतिक

आपदाएँ मानवाधिकार और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक हैं। पर्यावरण सन्तुलन ही मानवाधिकारों के संरक्षण में सहायक हो सकता है।

6ण **महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन** महिलाओं के खिलाफ, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कौमार्य परीक्षण, बाल विवाह, दहेज, रोजगार में भेदभाव, इन सबके कारण "लैंगिक समानता" 21 वीं सदी में मानवाधिकारों के सम्मुख चुनौती बनी हुई है।

7ण **जाति, नस्ल और सामाजिक भेदभाव** भारत में जातिवाद, अमेरिका में नस्लवाद, अफ्रीका में जनजातीय हिंसा, यूरोप में धार्मिक कट्टरता, दुनिया भर में सामाजिक भेद–भाव अपने नए–नए रूपों में मौजूद है जो मानवाधिकारों के सम्मुख में पौराणिक चुनौती नवीन संस्करण के भप में देखने को मिल रही है।

8ण **प्रवासी और शरणार्थियों की पीड़ा** विस्थापित लोगों को, नागरिकता नहीं, रोजगार नहीं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं, शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, पहचान आदि कारक हैं जो उनकों दर्द देते हैं। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी मानवाधिकार त्रासदियों में से एक है। इस दर्द से प्रवासी एवं भारणार्थियों से मुक्त करना या इनको सुविधा देना आज मानवाधिकारों के सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौती है।

9ण **मानव तस्करी और आधुनिक गुलामी** 21वीं सदी में भी लाखों लोग, तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, के शिकार हैं। डिजिटल माध्यमों ने तस्करी एवं गुलामी को और आसान बनाया है। ऑनलाइन के माध्यम से मानव की तस्करी आज चरम ि खर पर है। साइबर ठग ऑनलाइन माध्यम से मानव को गुलाम बनाकर लाखों करोड़ों को मिनटों में ठग दे रहे हैं। ऐसे में यह एक नवीन चुनौती मानवाधिकार आयोग से सम्मुख देखने को मिल रही है।

10ण **अल्पसंख्यकों और संवेदनशील समूहों का दमन** धार्मिक अल्पसंख्यक, समुदाय, दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग, अनाथ बच्चे इन सभी के अधिकार अक्सर अनदेखे रहते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो संस्थाएं इनके अधिकारों का संरक्षण करती थी उनकी कार्य प्रणाली, कार्य ैली आदि पर प्र न चिन्ह लग गये हैं।

11ण **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरे** फर्जी खबरें, नफरत फैलाने वाले भाषण, ऑनलाइन दुर्व्यवहार के नाम पर सर्विलांस तथा सेंसरशिप बढ़ने से मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद, कलाकार, सब प्रभावित हो रहे हैं। आज इनके अधिकारों की पैरवी करने वाले भी स्वंय के अधिकारों के हनन के ि ाकार हैं। एआई का कमाल एक नवीन मानवाधिकार चुनौती है।

12ण **आतंकवाद और उग्रवाद** आतंकवाद व उग्रवाद के कारण देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कठोर हाती है। इसका दुरुपयोग नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में होता है। इस प्रकार सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का संघर्ष बढ़ा है और आतंकवाद और उग्रवाद वैसे का वैसा है।

13ण **वै वीकरण के कारण श्रमिकों का शोषण** कॉर्पोरेट संस्कृति, गिग–अर्थव्यवस्था, ठेका प्रणाली में कम वेतन, असुरक्षित कार्य लाभ से वंचित श्रमिक, इन सबके कारण श्रमिकों के मानवाधिकार खतरे में हैं। मानवाधिकारों के तहत श्रमिक कानून बनने के बावजूद भी श्रमिकों का भोशण बना हुआ है और उनके अधिकारों का हनन चर्म ि खर पर हैं। श्रमिकों के हनन को रोकना एक चुनौती मानवाधिकार के सम्मुख है।

14ण **स्वास्थ्य संकट (जैसे कोविड–19)** महामारी के दौरान, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों पर दबाव, गरीबों की मौत, टीके की असमान उपलब्धता, जैसी स्थितियों ने स्वास्थ्य–अधिकार की कमजोरियों को उजागर किया।

15ण **डिजिटल भ्रम और मनोवैज्ञानिक हिंसा** ऑनलाइन तरह–तरह की, नफ़रत, ट्रोलिंग, मानसिक उत्पीड़न, गलत सूचना, डिजिटल लत मानवाधिकार का नया संकट बनी हैं।

16ण **मानवाधिकार उल्लंघन से ि ाकायतों का निराकरण समय पर न होना** अधिकां ातः देखने को मिलता है कि मानवाधिकारों का हनन या उल्लघंन जब होता है तब उनसे सम्बन्धित अभिकरण समय पर उन ि ाकायतों का निराकरण नही कर पाते हैं जो अपने आप में अधिकारों का हनन है यदि भारत में देख जाया तो राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक, देश में आयोग ने बीते पाँच सालों यानी 2017 में 82,006,

साल 2018 में 85,950, साल 2019 में 76,585 और साल 2020 में 75,064, साल 2021 में 106022 शिकायतें दर्ज की हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022–23 में मई माह तक 16,504 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और 17043 मामलों (नये और पुराने) का निपटारा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आयोग के समक्ष हज़ारों मामले आज भी विचाराधीन हैं।

## मानवाधिकार चुनौतियाँ का समाधान का प्रयास

मानवाधिकारों के सम्मुख वर्तमान में आने वाले चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आव यकता है। जैसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता मानवाधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अन्तर्राश्ट्रीय संगठनों को मिलकर मानवाधिकार उल्लंघनों पर कठोर कदम उठाने चाहिए। एनजीओ और सामाजिक संगठन पीड़ितों को सहायता प्रदान करने तथा सरकारों पर दबाव बनाने में सहायक होते हैं। ऐसे में भरोसा करके मानवाधिकारों के सम्मुख चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

## निष्कर्ष

मानवाधिकार 21वीं सदी की आत्मा हैं। वर्तमान वै वक परिदृश्य युद्ध, आतंकवाद, असमानता, कट्टरता, तकनीकी दुरुपयोग, इन सबके कारण मानवाधिकारों को अत्यधिक खतरे हैं। फिर भी मानवाधिकारों का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि वे मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। समाज को न्यायपूर्ण बनाते हैं। लोकतंत्र की नींव हैं। वि व शांति की गारंटी हैं। तकनीकी युग का नैतिक मार्गदर्शन हैं। अतः आवश्यकता है, वै वक सहयोग, संवैधानिक मजबूती, नागरिक जागरूकता, न्यायिक सक्रियता, मानवाधिकार शिक्षा ताकि मानवाधिकार केवल दस्तावेज़ों में नहीं, बल्कि व्यवहार और जीवन में वास्तविक रूप से स्थापित हो सकें।

## सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डोनेली, जे. (2013). इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स. वेस्टव्यू प्रेस।
2. सेन, ए. (1999). डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. जुबॉफ़, एस. (2019). सर्विलांस कैपिटलिज़्म का युग पावर की नई सीमा पर इंसानी भविष्य के लिए लड़ाई. पब्लिक अफेयर्स।
4. क्लैफ़म, ए. (2007). ह्यूमन राइट्स एक बहुत छोटा इंट्रोडक्शन. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. मोर्सिंक, जे. (1999). द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ओरिजिन, ड्राफ़्टिंग, एंड इंटेंट. यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेन्सिलवेनिया प्रेस।
6. देवा, एस., और बिलचिट्ज़, डी. (एड्स.). (2013). ग्लोबल साउथ में ह्यूमन राइट्स मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ की आवाज़ें. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. पटेल, आर. (2018). महिलाएँ और ह्यूमन राइट्स. रूटलेज।
8. निकोलसन, एफ., और ट्वोमी, पी. (एडिटर). (1999). रिफ्यूजी राइट्स और असलियतरू बदलते इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट और सिस्टम. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. शेली, एल. (2010). ह्यूमन ट्रैफिकिंग ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. सेन, ए. (2009). द आइडिया ऑफ़ जस्टिस. पेंगुइन बुक्स।
11. एमनेस्टी इंटरनेशनल. (2022). दुनिया के ह्यूमन राइट्स की स्थिति. एमनेस्टी इंटरनेशनल पब्लिकेशन्स।
12. वर्ल्ड बैंक. (2021). गरीबी और साझा खुशहाली. वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन।

13. कुमारस्वामी, आर. (2005). महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अलग–अलग रूप. ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली।
14. सेनगुप्ता, ए. (2002). डेवलपमेंट के अधिकार की थ्योरी और प्रैक्टिस पर. ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली।
15. ओमवेट, जी. (2011). जाति को समझनाः बुद्ध से अंबेडकर
16. इग्नाटिफ़, एम. (2001). राजनीति और मूर्तिपूजा के रूप में ह्यूमन राइट्स. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
17. मैंडर, एच. (2019). गरीबों को लॉकडाउन करनाः भारत में कोविड–19 का ह्यूमन राइट्स पर असर. स्पीकिंग टाइगर। तक और उससे आगे. ओरिएंट ब्लैकस्वान।